



कार्यालय नगर निगम रोहतक

शुद्धिपत्र

क्रमांक MCR/NT/2014/202

दिनांक: 09.06.2014

२५

कार्यालय के यदि क्रमांक MCR/NT/2014/0194-0199 दिनांक 09.06.2014 द्वारा जारी नगर निगम रोहतक की सामान्य बैठक दिनांक 09.06.2014 की कार्यवाही रिपोर्ट में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1) पेज नं0 10 पर क्रम संख्या 9(XV) के निर्णय में वर्णित वित्त एवं संविदा समिति के स्थान पर वर्कस कमेटी पढ़ा जावे।

9(XV) "निगम की राशी से अन्य विभागों तथा निगम द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्यों की वर्कस कमेटी नगर निगम, रोहतक द्वारा गुणवत्ता जांच करवाने का निर्णय लिया गया। दोनों कार्यकारी अभियंताओं को सभी निर्माण कार्यों की सूची तुरन्त इस कमेटी को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये।

(वर्कस कमेटी नगर निगम, कार्यकारी अभियंता-1 तथा II, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)

2) पेज नं0 15 में वार्ड नं0 10 में बिन्दू नं0 (iv) निम्नानुसार शामिल किया जाता है:-

मद संख्या	एजेंडा	निर्णय
(iv)	बारातधर, माडल टाउन से अवैध कब्जा हटवाने बारे।	भू-अधिकारी नगर निगम, रोहतक मौका देखकर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(भू-अधिकारी नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)



नगर निगम रोहतक

कार्यालय नगर निगम रोहतक

3) पेज नं0 22 में वार्ड नं0 19 में बिन्दू नं0 (vi) निम्नानुसार शामिल किया जाता है:-

मद संख्य	एजेंडा	निर्णय
(vi)	आधार ग्रुप हिसार को आरम्भ में एक वर्ष के लिये 38 कर्मचारी उपलब्ध करवाने का ठेका दिया था। वर्तमान में इस एजेन्सी द्वारा 98 कर्मचारी उपलब्ध करवाये गये है तथा इसका तीन वर्ष से ठेका चल रहा है। इस ठेके को रद्द करके नया ठेका दिया जाये।	नियमानुसार कार्रवाई की जाये।

(कार्यालय अधीक्षक नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)

दिनांक: 09.06.2014


मेयर,

नगर निगम, रोहतक।

दिनांक: 09.06.2014

३५

क्रमांक MCR/NT/2014/203-207

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, सांसद, रोहतक लोक सभा क्षेत्र।
2. श्री शादी लाल बत्तरा, राज्य सभा सदस्य।
3. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, विधान सभा सदस्य, गढी-सांपला किलोई।
4. श्री भारत भूषण बत्तरा, विधान सभा सदस्य, रोहतक।
5. श्रीमती शकुन्तला खटक, विधान सभा सदस्य, कलानौर।


मेयर,

नगर निगम, रोहतक।

दिनांक: 09.06.2014

३५

क्रमांक MCR/NT/2014/208-214

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. उपायुक्त, रोहतक।
4. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
5. अध्यक्ष एवं सदस्य वर्क्स कमेटी, नगर निगम रोहतक।
6. सभी पार्षदगण, नगरनिगम, रोहतक।
7. निजि सहायक, आयुक्त को आयुक्त, नगर निगम रोहतक के सूचनार्थ।


मेयर,

नगर निगम, रोहतक।

दिनांक: 09.06.2014

३५

क्रमांक MCR/NT/2014/215-216

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
2. सभी संबंधित अधिकारी।


मेयर,

नगर निगम, रोहतक।